



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04012024-251126
CG-DL-E-04012024-251126

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 06]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 3, 2024/पौष 13, 1945

No. 06]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 3, 2024/PAUSHA 13, 1945

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2024

सा.का.नि. 07(अ).—जबकि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित दिनांक 21 सितंबर, 2023 की अधिसूचना संख्या. सा.का.नि 688 (असा.) के माध्यम से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में भारत सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 100 की उप-धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 15 के उप-नियम (1) में संशोधन के लिए कतिपय नियमों का एक मसौदा प्रकाशित किया गया था जिसमें आधिकारिक राजपत्र की उक्त अधिसूचना वाली प्रतियां जनता को जिस तारीख से उपलब्ध कराई गई थी, उस तारीख से तीस दिनों की समाप्ति से पहले, इससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

और जबकि उक्त अधिसूचना की प्रतियां 28 सितंबर, 2023 को जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थीं;

और जबकि उक्त अधिसूचना के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया गया था;

अब, इसलिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 100 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 में संशोधन करने के लिए एतद्वारा आगे और निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों को दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियम, 2023 कहा जाए।
- (2) ये आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 में, नियम (15) में, उप-नियम (1) में, खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(झ) पेयजल और स्वच्छता विभाग, भारत सरकार द्वारा दिनांक 2 अगस्त, 2023 के अधिसूचना संख्या सीडीएन-11017/58/2021-समन्वय-डीडीडब्ल्यूएस, के माध्यम से दिव्यांगजनों और सुगम्य चुनौतियों वाले अन्य जनसंख्या समूहों के लिए सुगम्यता और समावेशी पाइप से जल आपूर्ति दिशानिर्देश को अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया है।”

“(ज) पेयजल और स्वच्छता विभाग, भारत सरकार द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2023 के अधिसूचना संख्या एस-18012/5/2021-एसबीएम-डीडीडब्ल्यूएस के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालयों के लिए सुगम्यता मानकों को अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया है।”

[सं. 38-06/2023-डीडी-III]

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव

नोट : दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 को दिनांक 15 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या. सा.का.नि. 591(अ) के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और दिनांक 16 नवंबर, 2023 की सा.का.नि. 849 (अ) के जरिए पिछली बार संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Empowerment of Persons with Disabilities)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2024

G.S.R. 07(E).—Whereas a draft of certain rules to amend sub-rule (1) of rule 15 of the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 were published, as required by sub-section (1) of section 100 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), *vide* notification of the Government of India the Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Empowerment of Persons with Disabilities number G.S.R. 688 (E), dated the 21st September 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on the 28th September, 2023;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said notification have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 100 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, namely:-

(1) These rules may be called the Rights of Persons with Disabilities (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, in rule 15, in sub-rule (1), after clause (h), the following clause shall be inserted, namely:-

“(i) guidelines on accessible and inclusive piped water supply for persons with disabilities and for other population groups with access challenges, as specified in the notification of the Department of Drinking Water and Sanitation, Government of India *vide* notification number CDN-11017/58/2021-Coordination-DDWS, dated the 2nd August, 2023.”

“(j) accessibility standards for community toilets in Rural areas, as specified in the notification of the Department of Drinking Water and Sanitation, Government of India *vide* notification number S-18012/5/2021-SBM-DDWS dated the 4th August, 2023.”

[No. 38-06/2023-DD-III]

RAJEEV SHARMA, Jt. Secy.

Note : The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 591(E), dated the 15th June, 2017 and was last amended *vide* G.S.R. 849(E), dated the 16th November, 2023.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082023-247921
CG-DL-E-08082023-247921

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 191]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 8, 2023/श्रावण 17, 1945

No. 191]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 8, 2023/SHRAVANA 17, 1945

जल शक्ति मंत्रालय

(पेयजल एवं स्वच्छता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2023

सं. सीडीएन-11017/58/2021-समन्वय-डीडीडब्ल्यूएस.—जबकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 40 केंद्रीय सरकार को मुख्य आयुक्त के परामर्श से, अन्य बातों के साथ-साथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को प्रदान की गई सुविधाओं और सेवाओं के लिए पहुंच संबंधी मानकों को निर्धारित करने वाले नियम बनाने का आदेश देती है;

2. जबकि, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने हितधारकों और दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त के कार्यालय के परामर्श के बाद, 'दिव्यांगजनों और पहुंच की चुनौतियों वाले अन्य आबादी समूहों के लिए सुलभ और समावेशी पाइपगत जल आपूर्ति संबंधी दिशानिर्देशों' के रूप में मानकों को अंतिम रूप दिया है।

3. अब, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय एतद्वारा 'दिव्यांगजनों और पहुंच की चुनौतियों वाले अन्य आबादी समूहों के लिए अनुबंध में दिए गए अनुसार सुलभ और समावेशी पाइपगत जलापूर्ति' संबंधी मानकों को अधिसूचित करता है, और ये <https://jalshakti-ddws.gov.in/> पर उपलब्ध हैं।

विकास शील, अपर सचिव

अनुबंध

दिव्यांगजनों और पहुंच की चुनौतियों वाले अन्य आबादी समूहों के लिए सुलभ और समावेशी पाइपगत जल आपूर्ति संबंधी दिशानिर्देश

1. संदर्भ और परिचय:

ये मसौदा दिशानिर्देश दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के लिए बाधा मुक्त निर्मित वातावरण के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देशों और स्थान संबंधी मानकों के लिए विषय सामग्री (इनपुट) प्रदान करते हैं। इस दस्तावेज में विभिन्न दिशानिर्देशों के मौजूदा प्रावधानों की तुलना की गई है और सार्वजनिक कार्यालयों और स्थानों सहित घरेलू, सामुदायिक और संस्थागत स्तर पर पाइपगत पेयजल आपूर्ति के समावेशी डिजाइन के लिए प्रावधानों का सुझाव दिया गया है। ये भारत में निर्मित वातावरण की पहुंच के मानदंडों के ब्यौरे के संबंध में विभिन्न संगठनों द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज हैं। वे हैं:

- बाधा मुक्त और अभिगम्यता संबंधी पुस्तिका, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी);
- दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के लिए बाधा मुक्त निर्मित वातावरण के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देश (2021) और स्थान संबंधी मानक, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय;
- राष्ट्रीय भवन संहिता (विशेष प्रकाशन संख्या 7); और
- अंतर्राष्ट्रीय मानक: आईएसओ 21542: 2011, भवन निर्माण - निर्मित वातावरण की पहुंच और प्रयोज्यता, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन।

2. उद्देश्य:

इस दस्तावेज का उद्देश्य दिव्यांगजनों और पहुंच की चुनौतियों वाले अन्य आबादी समूहों के लिए एक सुलभ और समावेशी पाइपगत जल आपूर्ति तैयार करने के लिए जानकारी प्रदान करना है। इनमें अस्थायी पहुंच की चुनौतियों वाले व्यक्तियों जैसे कि गर्भवती महिलाएं या छोटे बच्चों वाली माताएं या ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो अल्पकालिक शारीरिक बीमारियों से पीड़ित हैं, क्योंकि उन्हें भी पेयजल सुविधाओं तक पहुंचने के दौरान समान कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

3. प्रमुख दिव्यांगताएं जो पाइपगत जल संबंधी जरूरतों तक मुक्त रूप से पहुंचने में बाधक बनती हैं:

अंधता, निम्न दृष्टि, गति विषयक (लोकोमोटर) दिव्यांगता, बौनापन, कुछ रोगमुक्त व्यक्ति, प्रमस्तिष्क घात, स्वपरायणता स्पेक्ट्रम विकार, पेशीय दुष्पोषण, चिरकारी तंत्रिका दशाएं, बहु स्केलेरोसिक, सिक्कल कोशिका रोग, पार्किंसन रोग, बहु दिव्यांगता आदि।

4. दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) वह व्यक्ति होता है जो दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी दिव्यांग है जिसे समाज में दूसरों के साथ बातचीत पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा अवरोधों का सामना करना पड़ता है और इसमें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 द्वारा परिभाषित किए गए अनुसार 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को सूचीबद्ध किया जाता है।

5. पहुंच संबंधी इन बाधाओं का निराकरण करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकने वाले संभावित समाधान:

इसमें दिए गए संदर्भ सार्वजनिक स्थानों और घरेलू स्तर पर ऐसे दिव्यांगजनों, बुजुर्गों और अन्य व्यक्तियों के लिए पीने के पानी के स्रोतों को और अधिक सुलभ बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यापक विकल्प प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें इस तरह की पहुंच (चोटों, गर्भावस्था आदि) की अस्थायी आवश्यकता हो सकती है। हालांकि ये सिफारिशें व्यापक रूप से विभिन्न दिव्यांगताओं को ध्यान में रखती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर डिजाइन विकसित करते समय इन्हें और भी परिष्कृत करने की आवश्यकता हो सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी आवश्यक आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाए। सूखे, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने वाले स्थानों के लिए, भौगोलिक स्थिति, वित्तीय बाधाओं,

समुदायों की आवश्यकताओं और मांगों आदि को ध्यान में रखते हुए, इन सिफारिशों को और अधिक परिष्कृत करने के साथ-साथ विशिष्ट आपदाओं की आवश्यकताओं, जिनके लिए वह क्षेत्र प्रवण है, पर भी विचार किए जाने की आवश्यकता है।

6. सुलभ पेयजल सुविधा: किसी पाइपगत पेयजल सुविधा को सुलभ के रूप में परिभाषित किया जाएगा यदि यह निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करती है:

- यह सुरक्षित पेयजल तक पहुंचने की बाधाओं का समाधान करती है, जिसमें नल तक पहुंचने में बाधाएं, उस स्थान में प्रवेश करने और बाहर निकलने में बाधाएं जहां नल स्थित है, और स्वच्छ पेयजल के स्रोत के लिए नल के उपयोग में बाधाएं शामिल हैं। इस तरह की पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिसमें पानी का उपयोग आवश्यक है (पानी ले जाने के लिए जगह कैसे प्रदान करें);
- हर समय उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करती है;
- सभी उपयोगकर्ताओं, विशेष रूप से दिव्यांगजनों और बुजुर्गों की हर समय पहुंच में आसानी सुनिश्चित करती है; और
- हर समय उपयोगकर्ताओं की गरिमा सुनिश्चित करती है।

6.1 सहायक उपकरण और प्रौद्योगिकियां: सहायक उपकरण और प्रौद्योगिकियां वे हैं जिनका प्राथमिक उद्देश्य भागीदारी को सुविधाजनक बनाने और समग्र कल्याण को बढ़ाने के लिए किसी व्यक्ति के कामकाज और स्वतंत्रता को बनाए रखना या उसमें सुधार करना है। बुनियादी ढांचे के अलावा, कुछ दिव्यांगजनों और बुजुर्गों को ऐसे सहायक संयंत्रों और सहायक उपकरणों, जैसे व्हीलचेयर, कृत्रिम अंगों, दृश्य सहायक उपकरणों आदि की भी आवश्यकता हो सकती है, जो उनकी गतिशीलता, सहायता और स्वतंत्रता की सुविधा या उसमें सुधार करेंगे।

6.2 मौजूदा पाइपगत जल सुविधाओं की रेट्रोफिटिंग: ऐसे मामलों में जहां उल्लिखित सुविधाओं में पेयजल केंद्र पहले से ही मौजूद हैं, नए संस्थापन के मुकाबले रेट्रोफिटिंग को प्राथमिकता दी जाएगी। मौजूदा जल बिंदुओं की रेट्रोफिटिंग में मुख्य रूप से पानी के बिंदुओं की ऊंचाइयों को समायोजित करना, फुट-पेडल संचालित नल, लंबे हैंडल और आसान संचालन के साथ नल की सुविधा प्रदान करना, सहायता देने वाली छड़ों को जोड़ना, पानी के बिंदुओं को अधिक सुलभ बनाने के लिए मार्कर और संकेतों की व्यवस्था करना शामिल होगा।

7. पाइपगत जल आपूर्ति तक पहुंचने के लिए विभिन्न पहुंच वाली बाधाओं का सारांश:

पहुंच संबंधी कुछ विशिष्ट बाधाएं जिनका यह दस्तावेज़ समाधान सुझाने के माध्यम से निराकरण करने का प्रयास करेगा, नीचे सूचीबद्ध हैं:

श्रेणी	सामना की जाने वाली बाधाओं के उदाहरण
शारीरिक: प्राकृतिक वातावरण या बुनियादी ढांचे संबंधी बाधाएं	i.) पीने के पानी की सुविधा तक फिसलन/ऊबड़-खाबड़/खड़ी ढालू मार्ग; ii.) असमतल और/या अनुचित फुटपाथ; iii.) खड़ी ढाल वाले मार्ग; iv.) संकीर्ण प्रवेश द्वार; v.) फिसलन युक्त/गंदा फर्श; vi.) दुर्गम जल संग्रह बिंदु (ऊंचाई, नल के प्रकार, बोतल); और vii.) दुर्गम जल संग्रह बिंदु (ऊंचाई, नल के प्रकार, बोतल के लिए ताकि उसे हर समय पकड़े न रहना पड़े)।
नीतिगत/संस्थागत: संस्थानों और संगठनों में और नीतिगत स्तर पर व्यवस्थित अपवर्जन या	i.) सुविधाओं की आयोजना और डिजाइन की प्रक्रिया से अपवर्जन;

उपेक्षा, जिसमें क्षमता अंतराल भी शामिल हैं	ii.) दिव्यांगजनों के लिए पाइप से पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में सुस्पष्ट नीतिगत दिशा-निर्देशों का अभाव; iii.) सुलभ जल संग्रह और पीने संबंधी बिंदुओं की डिजाइन विशेषताओं के बारे में जागरूकता की कमी; और iv.) दिव्यांगजनों, परिवारों, पंचायती राज संस्थाओं के नेताओं और सेवा प्रदाता के लिए आईईसी और तकनीकी क्षमता निर्माण सामग्री उपलब्ध न होना।
सामाजिक/व्यवहार: समाज में विश्वासों, धारणाओं, वर्जनाओं, कलंक, आदि से संबंधित सामाजिक दिव्यांगताएं - जिसमें कुछ जनसमूहों की उपेक्षा की जाती है	i.) परिवार के सदस्यों या देखभाल करने वालों द्वारा पर्याप्त सहायता की उपेक्षा/कमी (उन पीडब्ल्यूडी के लिए जिनकी सहायता के लिए परिवार के सदस्य/देखभाल करने वाले हैं); ii.) एकल व्यक्ति वाले परिवारों से संबंधित सुलभ पीडब्ल्यूएस और बुजुर्ग व्यक्तियों को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सहायता की उपेक्षा/कमी; और iii.) परिवार/समुदाय के सदस्यों द्वारा छेड़ना/धमकाना/शर्मिंदा करना/दुर्व्यवहार करना।

8. सामान्य डिजाइन संबंधी विचार:

सुलभ पाइपगत जल आपूर्ति बिंदुओं को डिजाइन करते समय सिद्धांतों के निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जा सकता है:

1.	उपयोग हेतु आकर्षक और सुविधाजनक	उदाहरणार्थ, चमकीले रंगों में पेंटिंग कचे; उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री और फिटिंग का उपयोग करना; सुरक्षित पानी का उपयोग करना।
2.	उपयोग में आसान	सक्षम व्यक्तियों, दिव्यांगजनों, बुजुर्गों, बच्चों आदि के लिए नल भंडारण स्थान और जल बिंदु उपकरण का उपयोग करना आसान होना चाहिए।
3.	सभी उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ	<p>पानी के बिंदु की ऊंचाई और डिजाइन को बच्चों और दिव्यांगजनों के लिए समायोजित करने की आवश्यकता है। बच्चों के लिए, ऊंचाई 500-700 मिमी बीच और व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए <850 मिमी होनी चाहिए। व्यवहार में, इसके लिए या तो अलग-अलग ऊंचाइयों पर निर्धारित दो जल बिंदुओं की आवश्यकता होगी, या दो जल बिंदुओं के साथ एक लचीली मॉड्यूलर इकाई हो।</p> <p>व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए, बुजुर्ग व्यक्ति जो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते हैं और अन्य गतिशीलता उपकरणों (जैसे बैसाखी) वाले उपयोगकर्ता, यह जांच लें कि उन्हें नल/पैर युक्त पैडल, पानी की बोतल / कप होलिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए बहुत दूर झुकने की आवश्यकता नहीं है या डिवाइस को चालू करने के लिए बहुत जोर से धक्का नहीं देना है।</p> <p>जल बिंदु के आसपास का क्षेत्र फिसलन रहित सतह के साथ समतल होना चाहिए और जल बिंदु से अतिप्रवाह वाले पानी का बहाव जल निकासी सेटअप की ओर होना चाहिए।</p>
4.	पर्याप्त नल	पानी की अधिकतम मांग (पीक डिमांड) के दौरान उपयोगकर्ताओं की अधिकतम संख्या पर विचार किया जाना चाहिए। कतारों को रोकने के लिए कई नलों या कई अलग-अलग इकाइयों के साथ एक पेयजल सुविधा आवश्यक हो सकती है।

5.	उपयुक्त आकार/आकृति	जहां स्थान सीमित हो, वहां पीने के पानी की सुविधा के डिजाइन को तदनुसार अनुकूलित करने की आवश्यकता हो सकती है, जबकि हमेशा यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के लिए सुविधा सुलभ हो।
6.	विश्वसनीय जल आपूर्ति	जब तक एक विश्वसनीय 24/7 पाइपगत पानी कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, तब तक एक स्थानीय जल भंडारण कंटेनर की आवश्यकता होगी। यह पीने के पानी की सुविधा के लिए विशिष्ट हो सकता है, या केंद्रीय भंडारण से कनेक्शन हो सकता है। पानी की गुणवत्ता का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाना चाहिए। जल भंडारण टैंक को त्रैमासिक आधार पर (कम से कम) साफ किया जाना चाहिए।
7.	छींटे से बचें और अच्छी जल निकासी प्रदान करें	काउंटर/बेसिन इतना बड़ा होना चाहिए कि छींटे पड़ने से बचा जा सके। स्थान के आधार पर पानी के बिंदु से अतिप्रवाह वाले पानी की निकासी सोखता गड्ढे या नाली की ओर होनी जानी चाहिए।
8.	सामग्री का चयन	बाहरी क्षेत्र में स्थापित पीने के पानी की सुविधाओं के लिए, ऐसी उपयुक्त सामग्रियों का चयन किया जाना चाहिए जो जल्दी से खराब न हों (जैसे स्टेनलेस स्टील) या जो धूप में खराब न हों (प्लास्टिक यूवी-प्रतिरोधी होना चाहिए)। आवश्यकता के आधार पर, नल और पानी के अच्छी पहुंच वाले बिंदु स्थापित करने की आवश्यकता है। विफल होने की सबसे अधिक संभावना वाले घटक नल, नल और टंकी के बीच फिटिंग, या (हैंड्स-फ्री डिजाइन के लिए) नल या पानी के बिंदु को संचालित करने संबंधी व्यवस्था हैं। भविष्य के रखरखाव को कम करने के लिए, उपलब्ध विभिन्न विकल्पों पर कुछ शोध किया जाना उपयोगी है।
9.	टिकाऊ और विश्वसनीय	दीर्घकालिक सुविधा प्रदान करने के लिए डिजाइन इतना मजबूत होना चाहिए जिसके लिए न्यूनतम रखरखाव अपेक्षित हो, दिव्यांगजनों और बुजुर्ग लोगों के लिए हर समय पहुंच सुनिश्चित करना चाहिए। यह देखते हुए कि सार्वजनिक सुविधाओं का तीव्रता से उपयोग किए जाने की संभावना है, उपयुक्त सामग्री का चयन किया जाना चाहिए और शिल्प कौशल की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित की जानी चाहिए। पानी की टंकी और पाइप कनेक्शन के लिए स्टैंड में पानी के अधिकतम वजन और प्रवाह को वहन करने के लिए पर्याप्त मजबूती होनी चाहिए, और इसे आसानी से खटखटाने की आवाज को रोकने के लिए (या बाहर की सुविधाओं के लिए बेअसर) यह टिकाऊ होना चाहिए। पानी की बड़ी टंकियों के लिए, एक अलग वाल्व (स्टॉपकॉक) की सिफारिश की जाती है ताकि जब नल टूट जाए या बदला जा रहा हो तो पानी बर्बाद न हो।
10.	मरम्मत करने में आसान	स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री, स्पेयर पार्ट्स और प्रासंगिक तकनीकी कौशल के साथ मरम्मत करने के लिए आसान हो। कभी-कभी क्षमता और आपूर्ति श्रृंखलाओं को सक्रिय रूप से बनाने की आवश्यकता हो सकती है।
11.	सस्ती और धन का सार्थक उपयोग	दीर्घकालिक सुविधा की लागत अधिक होगी लेकिन लंबी अवधि में यह बेहतर उपयोगी होगी। इसलिए, विभिन्न डिजाइन विकल्पों का मूल्यांकन करते समय पूंजीगत लागत (परिवहन और ऑनसाइट असेंबली कार्य सहित) और चल रहे ओ एंड मूवर डिजाइन जीवन ('जीवन चक्र लागत') दोनों पर विचार किया जाए। सामर्थ्य इस बात से भी प्रभावित होगी कि सुविधा का वित्तपोषण कौन कर रहा है – यह कुछ ऐसी है जो गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) या निजी कंपनी के लिए खरीदने के लिए सस्ती है, स्थानीय शासन या समुदाय-आधारित संगठन के लिए सस्ती नहीं हो सकती है और इस प्रकार भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति और स्तर भी सीमित हो सकता है।

9. निम्नलिखित सुझाई गई आवश्यकताएँ हैं जिन पर, ऐसे विशिष्ट संदर्भों के लिए विचार किया जा सकता है जिनमें विभिन्न प्रकार की पहुंच मौजूद है। विभिन्न सुविधाओं के लिए विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों की आवश्यकता निम्नानुसार हो सकती है:

सुविधा का प्रकार	संभावित उपयोगकर्ता	सुलभता संबंधी आवश्यकताएँ
आंगनवाड़ी केंद्र	5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे गर्भवती महिलाएं, नवजात शिशुओं वाली माताएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	बच्चों के अनुकूल पानी के स्रोत (ऊँचाई, स्थान, पहुंच में आसानी) सामान्य जल बिंदु बच्चों, गर्भवती महिलाओं, माताओं और सहायकों के लिए सुलभ होने की आवश्यकता है। कम से कम दो सामान्य जल बिंदु स्थापित करने की आवश्यकता है, जिससे उन्हें बच्चों, गर्भवती महिलाओं, नई माताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सुलभ बनाया जा सके, जबकि बच्चों और दिव्यांगजनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सुरक्षित पानी तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके।
प्राथमिक/मिडल विद्यालय	प्राथमिक स्कूलों में 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, शिक्षक और अन्य कार्यकर्ता	कम से कम दो सामान्य जल बिंदुओं को स्थापित करने की आवश्यकता है, जिससे उन्हें बच्चों और वयस्कों के लिए सुलभ बनाया जा सके जो बच्चों और दिव्यांगजनों के लिए सुरक्षित पानी तक पहुंच सुनिश्चित करते हों।
माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	माध्यमिक विद्यालयों में 12-18 वर्ष की उम्र के बच्चे, शिक्षक और अन्य कार्यकर्ता	कम से कम दो सामान्य जल बिंदुओं को स्थापित करने की आवश्यकता है, जिससे उन्हें बच्चों और वयस्कों के लिए सुलभ बनाया जा सके जो बच्चों और दिव्यांगजनों के लिए सुरक्षित पानी तक पहुंच सुनिश्चित करते हों।
आवासीय विद्यालय	आवासीय छात्र (8 से 18 वर्ष की आयु तक), आवासीय संकाय सदस्य, आवासीय प्रशासक माता-पिता और अभिभावक (बुजुर्ग व्यक्तियों सहित) स्वच्छता कार्यकर्ता और सहायक कर्मचारी	कम से कम दो सामान्य जल बिंदु (स्कूल परिसरों में) स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि उन्हें सुलभ बनाया जा सके और दिव्यांगजनों पर ध्यान देने के साथ बच्चों, कर्मचारियों, आगंतुकों और अन्य लोगों के लिए सुरक्षित पानी तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। आवासीय परिसर में प्रत्येक शयनकक्ष क्षेत्र, स्टाफ क्षेत्र और आगंतुक क्षेत्र के लिए प्रति मंजिल कम से कम एक सुलभ पेयजल बिंदु का निर्माण किया जाए।
स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर (बाह्य रोगी, देखभाल और प्रसूता कक्ष)	बच्चों, युवा वयस्क, वयस्क, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग व्यक्ति, हेल्थकेयर स्टाफ, प्रशासनिक कर्मचारी, सफाई कर्मचारी और सहायक कर्मचारी	कम से कम दो सामान्य जल बिंदुओं (पीएचसी भवन के परिसर के भीतर) को स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि उन्हें सुलभ बनाया जा सके और बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए सुरक्षित पानी तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (लगभग 6 बेड) सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (लगभग 30 बेड); सिविल और जिला	बच्चे, युवा वयस्क, वयस्क गर्भवती महिला, बुजुर्ग व्यक्ति, हेल्थकेयर स्टाफ, प्रशासनिक कर्मचारी, सफाई कर्मचारी और सहायक कर्मचारी	कम से कम दो सामान्य जल बिंदुओं (बाह्य रोगी वार्ड के परिसर के भीतर) को स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि उन्हें सुलभ बनाया जा सके और बच्चों और अन्य दिव्यांगजनों के लिए सुरक्षित पानी तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

अस्पताल (100 बेड और उससे अधिक)	सुविधा क्षेत्र के अंतर्गत प्रति वार्ड (पुरुष, महिला, बाल चिकित्सा), आगंतुक क्षेत्र और कर्मचारी क्षेत्र कम से कम एक सुलभ पेयजल बिंदु का निर्माण किया जाए।
--------------------------------	--

10. विभिन्न भवन स्थान/इंटरफेस जहां जल और स्वच्छता संबंधी गतिविधियां की जाती हैं और उपर्युक्त दस्तावेज में विनिर्दिष्ट हस्तक्षेपों को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए उनमें बड़ोतरी निम्नानुसार सारणीबद्ध हैं:

वॉश बेसिन

परिमाण	सीपीडब्ल्यूडी	एचजी (2021)	एनबीसी	आईएसओ
वॉश बेसिन की ऊंचाई (रिम/ऊपरी किनारा)	तैयार किए गए फर्श स्तर से 750 मिमी से अधिक ऊंचा नहीं।	पेयजल सुविधाओं की व्यवस्थाएं दो अलग-अलग ऊंचाइयों पर की जाएंगी, पहली व्यवस्था व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं या कम ऊंचाई वाले व्यक्तियों के लिए 750 मिमी से 800 मिमी की रेंज के बीच और दूसरी व्यवस्था 900 मिमी पर हो जो खड़े वयस्कों के लिए सुविधाजनक है।	फर्श से 800 मिमी और 840 मिमी। इस तरह से लगाया जाए कि फिक्स्चर की केंद्र रेखा और साइड की दीवार के बीच की न्यूनतम दूरी 460 मिमी हो।	फर्श से 750 मिमी से 850 मिमी। दुनिया भर में आबादी के कद में अंतर के लिए वॉशबेसिन की कम या अधिक ऊंचाई की आवश्यकता हो सकती है। राष्ट्रीय नियम राष्ट्रीय स्तर पर वॉशबेसिन के लिए सबसे सुविधाजनक और उपयुक्त ऊंचाई दे सकते हैं।
घुटने और पैर के अंगूठे की जगह	550 मिमी की निकासी मुख्य रूप से फर्श के तल से एप्रन के तल तक रखी जाएगी।	वॉशबेसिन के नीचे अबाधित स्थान: क. घुटने के लिए एप्रन के तल और फर्श या जमीन के बीच कम से कम 750 मिमी चौड़ी, 200 मिमी गहरी और 700 मिमी ऊंची एक स्पष्ट जगह हो। ख. पैर की अंगुली के लिए कम से कम 750 मिमी चौड़ी और 230 मिमी ऊंची जगह हो।	घुटने के लिए कम से कम 750 मिमी चौड़ी और 200 मिमी गहरी और 680 मिमी ऊंची जगह हो। पैर की अंगुली के लिए कम से कम 750 मिमी चौड़ी, 230 मिमी गहरी और 230 मिमी ऊंची जगह हो।	घुटने के लिए जगह: 650 मिमी और 700 मिमी के बीच ऊंची और 200 मिमी गहरी। पैर की अंगुली के लिए कम से कम 300 मिमी की जगह।
वॉशबेसिन के सामने परिचालन क्षेत्र		वाटर क्लोजेट और वॉश बेसिन के सामने और सापेक्ष फिक्स्चर्स की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए ताकि कम से कम 900 मिमी x 1200 मिमी का स्पष्ट फर्शी क्षेत्र प्रदान किया जा सके। यदि उपर्युक्त स्थान उपलब्ध नहीं है, तो 1500 मिमी व्यास का एक सटीक स्थान प्रदान किया जाएगा।	900 मिमी चौड़ा और 1200 मिमी गहरा, जिसमें से अधिकतम 480 मिमी गहराई वॉश बेसिन के नीचे हो सकती है।	वॉशबेसिन के सामने, स्थान में व्हीलचेयर द्वारा सामने से या कोने से आवाजाही की सुविधा होनी चाहिए।
नल तक पहुंच		पीने के पानी के काउंटर को दीवार की सतह के किनारे से 480 मिमी तक परियोजित किया जा सकता है। पानी का प्रवाह 100 मिमी की ऊंचाई से होना चाहिए ताकि पीने के पानी के लिए कप या गिलास के लिए स्थान उपलब्ध हो सके।		वॉशबेसिन का सामने का किनारा दीवार से 350 मिमी से 600 मिमी की दूरी के अंदर अवस्थित होगा। नल नियंत्रण तक पहुंचने की दूरी अधिकतम 300 मिमी होगी।
शेल्फ के परिमाण		प्रसाधन सामग्री के लिए शेल्फ की व्यवस्था 400 मिमी से 800 मिमी की ऊंचाई के बीच की जानी चाहिए। पानी का	400 मिमी x 200 मिमी फर्श से 900 मिमी और 1000 मिमी के बीच की ऊंचाई पर लगाएं।	850 मिमी की ऊंचाई पर 200 मिमी x 400 मिमी।

		प्रवाह 100 मिमी की ऊंचाई से होना चाहिए ताकि पीने के पानी के लिए कप या गिलास के लिए स्थान उपलब्ध हो सके।		
दर्पण और नाली		व्हीलचेयर उपयोगकर्ता की बेहतर दृश्यता के लिए फर्श से निचला किनारा अधिकतम 1000 मिमी की ऊंचाई पर हो और दर्पण को 30 डिग्री के कोण पर झुकाया जाना चाहिए। जमीन की सतह को जलभराव या कीचड़ होने से बचाने के लिए पानी पीने के नल के नीचे एक नाली होनी चाहिए।	चित्र में दिखाये गए अनुसार, व्हीलचेयर उपयोगकर्ता की बेहतर दृश्यता के लिए फर्श से निचला किनारा अधिकतम 1000 मिमी की ऊंचाई पर हो और दर्पण को 30 डिग्री के कोण पर झुकाया जाए। दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं के लिए भ्रम और चकाचौंध से बचने के लिए दर्पण लगाने और रोशनी की व्यवस्था करने में सावधानी बरती जाए।	शीर्ष ऊंचाई न्यूनतम 1900 मिमी, तल की ऊंचाई फर्श से ऊपर अधिकतम 900 मिमी।


ख.) नल

परिमाण	सीपीडब्ल्यूडी	एचजी	एनबीसी	आईएसओ
नल/नियंत्रण के प्रकार	स्प्रिंग लोडिंग के बिना स्वचालित या लीवर नियंत्रण प्रकार। नल को कलाई से कसकर पकड़ने, दबाने या घुमाने की आवश्यकता न हो।	हाथ से संचालित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित। हाथ से संचालित नियंत्रणों को चाहिए कि: - एक हाथ से संचालित हों, - कलाई से कसकर पकड़ने, दबाने या घुमाने की आवश्यकता न हो, बंद मुट्ठी से संचालन वाले लीवर प्रकार (स्वयं बंद न हों) के हैंडल हों। - आसान संचालन के लिए लीवर-टाइप हैंडल या अन्य वैकल्पिक तंत्र जैसे सेंसर संचालित नल आदि का उपयोग किया जाए।	हाथ से संचालित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित। हाथ से संचालित नियंत्रणों को चाहिए कि: - एक हाथ से संचालित हों, - कलाई से कसकर पकड़ने, दबाने या घुमाने की आवश्यकता न हो, बंद मुट्ठी से संचालन वाले लीवर प्रकार (स्वयं बंद न हों) के हैंडल हों।	नल को मिक्सर, लीवर या सेंसर संचालित किया जाना चाहिए ताकि संचालन में सहायता मिल सके।
अपेक्षित बल	22N से अधिक नहीं।	सक्रिय करने के लिए 22N से कम।	सक्रिय करने के लिए 20N से कम।	
रंग/स्पर्शनीय		नियंत्रण, आसपास के फेस प्लेट पैनल के रंग के विपरीत होना चाहिए और इसी प्रकार फेस प्लेट उस पृष्ठभूमि दीवार के रंग के विपरीत होनी चाहिए, जिस पर इसे लगाया गया है।	आसपास के फेस प्लेट पैनल के रंग के विपरीत हों और इसी प्रकार फेस प्लेट उस पृष्ठभूमि दीवार के रंग के विपरीत हों, जिस पर इसे लगाया गया है। गर्म और ठंडे पानी के नलों को रंग और स्पर्श चिह्न दोनों के माध्यम	

			से पहचाना जाना चाहिए।	
सूचना	स्पर्श संबंधी पठन के लिए अधिमानतः सुलभ हो (ब्रेल जानकारी के साथ उभरे हुए अक्षर/चिह्न)।	साइनेज सिस्टम में दिव्यांग व्यक्तियों, परिवार के अनुकूल सुविधाओं, ट्रांसजेंडर समूहों और अन्य उपयोगकर्ता समूहों के लिए चिह्न शामिल होंगे। आपातकालीन सूचना संकेतों को हर समय पठनीयता और स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए शौचालय प्रणालियों में अच्छी तरह से एकीकृत किया जाना चाहिए। सुलभता बढ़ाने के लिए, शौचालय उपयोग की स्थिति को एक बहु-प्रारूप संचार में उपयोग के लिए लाल और खाली के लिए हरे रंग के साथ चित्रित किया जा सकता है। सुलभ शौचालयों के लिए आवश्यक जानकारी और साइनेज सिस्टम के विवरण को सूचीबद्ध करें। पुरुष और महिला शौचालयों में यूनिसेक्स और व्यक्तिगत सुलभ क्यूबिकल, सुलभ शौचालयों में इंटरनेशनल सिंबल ऑफ एक्सेस (आईएसए) द्वारा दर्शाया गया साइनेज होना चाहिए। यूनिसेक्स या लिंग-समावेशी शौचालयों को स्पष्ट संकेतकों के साथ चिह्नित किया जाए। भवनों में पीने के पानी की सुविधा आसानी से पहचाने गए साइनेज के माध्यम से आसानी से खोजे जाने योग्य पहचान योग्य और पहुंच योग्य होनी चाहिए।		
तापमान		आसान पहचान और पहुंच के लिए, सभी संकेत को ब्रेल में स्पर्श सुविधाओं और अलग-अलग संकेतकों वाले होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, पहचान के लिए, प्रवेश द्वार के ऊपर एक अलग ऑडियो ध्वनि (बीपर/क्लैपर) स्थापित की जा सकती है। शौचालय के अंदर चारों ओर आसानी से स्टीयरिंग के लिए, 900 मिमी से 1200 मिमी ऊंचाई सीमा के बीच कुंडी के पास दीवार पर एक स्पर्शनीय शौचालय लेआउट लगाया जाना चाहिए।		झुलसने से बचने के लिए गर्म पानी के तापमान को अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए एक थर्मोस्टेट लगाया जाना चाहिए।

जल बिन्दुओं तक पहुंचने/उपयोग करने में सामना की गई चिह्नित कठिनाइयों के लिए परिकल्पित किए जा रहे डिजाइन संबंधी विचारों/समाधानों के उदाहरण

दिव्यांगता का प्रकार	जल बिन्दुओं तक पहुंचने/उपयोग करने में सामना की गई चिह्नित कठिनाइयां	परिकल्पित किए जा रहे डिजाइन संबंधी विचारों/समाधानों के उदाहरण	उदाहरण
पाइपगत जल संबंधी आवश्यकताओं तक मुख्य रूप से पहुंचने में बाधक प्रमुख दिव्यांगताएं: गतिविषयक दिव्यांगता, बौनापन, कुष्ठ रोगमुक्ति व्यक्ति, प्रमस्तिष्क घात, स्वपरायणता स्पैक्ट्रम विकार, पेशीयदुष्पोषण, चिरकारी तंत्रिका दशाएं, बहु-स्केलेरोसिक, रक्त विकृति, पार्किंसन रोग, बहु-दिव्यांगताएं	झुकते, उठते, मुड़ते समय संतुलन बनाने में कठिनाइयां और/अथवा दरवाजे की कुंडी, पानी का डिब्बा, नल आदि जैसी वस्तुओं को खोजते और/अथवा पकड़ते समय मुड़ने में कठिनाई आदि। हिलने-डुलने में अत्यधिक दर्द।	जल बिन्दु तक जाने वाले रास्ते में बिना किसी बाधाओं वाले उचित पथ। मार्गों का निर्माण फिसलन रहित सामग्री से किया जाना चाहिए; जिन स्थानों पर जमीन असमतल हो जैसे जहां सीढ़ियां फर्श से मिलती हों वहां यह वांछनीय है कि उस क्षेत्र से पहले और बाद में विपरीत रंगों का प्रयोग करके दोनों ही स्थलों पर सतही सामग्री की पहचान को तत्काल बदला जाए; पकड़ने के लिए पथ के साथ-साथ हैंडरेल; पर्याप्त ढाल वाले रैंप (यदि आवश्यक हो); फर्श का निर्माण फिसलन-रहित सामग्री से किया जाए; जल बिन्दु के आस-पास व्हीलचेयर के प्रवेश करने और मुड़ने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए; नल ऑटोमेटिक सेंसर वाले होने चाहिए, पानी की बोतल को भरने के लिए नल के नीचे फुट ऑपरेटर और भंडारण स्थान तथा व्हीलचेयर, क्रच, आदि वाले व्यक्ति के लिए आराम से चलने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए; जल बिन्दु के दोनों ओर हैंडरेल/ग्रेब बार होनी चाहिए; फिक्सचर की ऊंचाई/स्तर को आवश्यकता के अनुसार समायोजित किया जाना चाहिए; वाटर फाउंटेन के प्रकार के आधार पर फाउंटेन के	 <p>चित्र में दिए गए हाथ धोने के स्थानों की तरह पेयजल स्थान एक व्यवहार्य विकल्प हो सकते हैं। इन स्थानों में नलों को चलाने के लिए पैरों से चलने वाले पैडल (ऊपरी अंगों से संबंधित दिव्यांगजनों के लिए उपयोगी), नीचे चित्र में दिए गए अनुसार भिन्न-भिन्न ऊंचाई और लंबे हैंडलों वाले स्थान (उन्हें व्हीलचेयर वाले व्यक्तियों और बच्चों के लिए सुलभ बनाना) शामिल हैं।</p>   <p>चित्र में दी गई हाथ धोने की सुविधाओं में दर्शाए गए अनुसार पेयजल सुविधाओं के लिए भी इसी तरह के स्थल बनाए जाने की आवश्यकता है। पेयजल बिन्दुओं पर हैंडरेल इस तरह सुनिश्चित की जानी चाहिए जिससे उन्हें ऐसे व्यक्तियों के लिए अधिक सुलभ बनाया जा सके जिन्हें अतिरिक्त हाथ की सहायता अथवा बैक सपोर्ट की आवश्यकता हो सकती है।</p>

		<p>नीचे पर्याप्त स्थान होना चाहिए;</p> <p>प्रवेश द्वार में किए गए आशोधनों से बहु-दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों के लिए पहुंच आसान होनी चाहिए;</p> <p>सुलभ जल बिन्दुओं का पता लगाने के लिए बोल्ड निशान, स्थानों, चेतावनियों और मार्ग संबंधी सूचना के स्पष्ट संकेतों की व्यवस्था करना।</p>	
दृष्टिगत हास, पूर्ण दृष्टिहीनता, निम्न दृष्टि	<p>रास्ता खोजने में कठिनाई/संतुलन बनाए रखने में कठिनाई/दरवाजे की कुंडी, पानी का डिब्बा आदि जैसी वस्तुओं को खोजने अथवा पकड़ने में कठिनाई।</p>	<p>नल की तरफ जाने वाले रास्ते के साथ-साथ लैंडमार्क पोस्ट/मार्गदर्शक रस्सियां;</p> <p>नल तक हैंडरेल/ग्रेब बार; फर्श को फिसलनरहित सामग्री से बनाया जाए;</p> <p>ध्वनि सेंसरों वाले नल, जब नल को चालू और बंद किया जाए तथा जब बोतल भर जाए तो श्रव्य संकेतक, नल के चालू और बंद होने की ओर ब्रेल लिपि में संकेतक आदि;</p> <p>शिशु के लिए सुविधाजनक नल लगाए जाने चाहिए;</p> <p>नल के आस-पास और बाहर के क्षेत्र में अच्छी प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए;</p> <p>दीवारों के बीच पर्याप्त रंग/रंगों में भिन्नता, फर्श और संयोजन;</p> <p>सुलभ जल बिन्दुओं का पता लगाने के लिए बोल्ड निशान, स्थानों, चेतावनियों और मार्ग संबंधी सूचना के स्पष्ट संकेतों की व्यवस्था करना।</p>	 <p>दृष्टिगत हास वाले व्यक्तियों के लिए प्रमुख स्थान, मार्गदर्शन संबंधी मार्करों, हैंडरेल ग्रेब के रूप में लकड़ी की पोस्टों की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।</p>

MINISTRY OF JAL SHAKTI
(Department of Drinking Water and Sanitation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2023

CDN-11017/58/2021-Coordination-DDWS.—Whereas Section 40 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 mandates the Central Government, in consultation with the Chief Commissioner, to formulate rules laying down standards of accessibility *inter-alia* for facilities and services provided to the public in urban and rural areas;

2. And whereas, Department of Drinking Water & Sanitation, Ministry of Jal Shakti after consultation with stakeholders and Office of Chief Commissioner for Persons with Disabilities, has finalized the standards in the form of 'Guidelines on accessible and inclusive piped water supply for persons with disabilities and for other population groups with access challenges'.

3. Now, the Department of Drinking Water and Sanitation, M/o Jal Shakti hereby notifies the standards on 'accessible and inclusive piped water supply for persons with disabilities and for other population groups with access challenges' as placed at **Annexure**, and the same is available at <https://jalshakti-ddws.gov.in/>

VIKAS SHEEL, Addl. Secy.

Annexure

Guidelines on accessible and inclusive piped water supply for persons with disabilities and for other population groups with access challenges

1. Context and introduction:

These draft guidelines are to provide inputs to the Harmonised Guidelines and Space Standards for Barrier Free Built Environment for Persons with Disabilities and Elderly Persons. In this document the existing provisions of the various guidelines are compared and provisions are suggested for inclusive design of piped drinking water supply at household, community and institutional level, including public offices and places. There are documents prepared by different organizations on detailing the norms for the accessibility of built environments in India. They are:

- Handbook on Barrier Free and Accessibility, Central Public Works Department (CPWD);
- Harmonised Guidelines (2021) and Space Standards for Barrier Free Built Environment for Persons with Disability and Elderly Persons, MoHUA;
- National Building Code (Special Publication No. 7); and
- International Standard: ISO 21542:2011, Building construction — Accessibility and usability of the Built Environment, International Organization for Standardization.

2. Objective:

The objective of this document is to provide information for designing an accessible and inclusive piped water supply for persons with disabilities and for other population groups with access challenges, including people with temporary access challenges such as pregnant women or mothers with young children or individuals who are suffering from short term physical ailments, since they too face similar barriers while accessing drinking water facilities.

3. Major disabilities which form as barriers to accessing piped water needs freely:

Blindness, Low-vision, Locomotors Disability, Dwarfism, Leprosy-cured persons, Cerebral Palsy, Autism Spectrum Disorder, Muscular Dystrophy, Chronic Neurological conditions, Multiple Sclerosis, Sickle Cell disease, Parkinson's disease, Multiple Disabilities, etc.

4. A Person with disability (PwD) is a person with long-term physical, mental, intellectual or sensory impairment which in interaction with barriers, hinders full and effective participation in society equally with others' and lists 21 types of disabilities', as defined by The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.

5. Potential solutions that can be deployed for addressing these access barriers:

The references provided herein present a broad variety of options to make drinking water points in public spaces and at household level more accessible for persons with disabilities, elderly people and other individuals who may have temporary requirement for such accessibility (injuries, pregnancy, etc.) as well. While these recommendations broadly take into consideration different disabilities, these may need to be further refined while developing designs at the ground level so to ensure that all the essential requirements are prioritized. For locations that are affected by droughts,

floods and other natural disasters, these recommendations need to be further refined taking into consideration the geographical location, financial constraints, communities' requirements and demands, etc., also considering the requirements of specific disasters for which the area is prone for.

6. Accessible drinking water facility: A piped drinking water facility will be defined as accessible if it meets the following requirements:

- Addresses the barriers to accessing safe drinking water, including barriers in reaching the tap, in entering and getting out of the space where the tap is located, and in using the tap to source clean drinking water. Such accessibility needs to be assured wherein water usage is essential (how to provide space for carrying water);
- Ensures safety of the users at all times;
- Ensures ease of access to all the users, especially persons with disabilities and elderly persons at all times; and
- Ensures dignity of the users at all times.

6.1 Assistive devices and technologies: Assistive devices and technologies are those whose primary purpose is to maintain or improve an individual's functioning and independence to facilitate participation and to enhance overall wellbeing. In addition to the infrastructure, some persons with disabilities and elderly persons may also require assistive devices and aids, such as wheelchairs, prostheses, visual aids, etc., which would facilitate or improve their mobility, support and independence.

6.2 Retrofitting of existing piped water facilities: In cases where drinking water points already exist in the mentioned facilities, retrofitting will be prioritized over new installations. Retrofitting of existing water points will majorly comprise adjusting heights of the water points, introducing foot-pedal operated taps, taps with long handles and easy operation, adding support bars, providing markers and signs to make the water points more accessible.

7. Summary of different access barriers to accessing piped water supply:

Some of the specific accessibility barriers that this document will try to address by way of suggesting solutions are listed below:

Category	Examples of barriers faced
Physical: barriers in the natural environment or infrastructure	i.) Pathway to the drinking water facility slippery/rough/steep; ii.) Uneven and/ or improper pavement; iii.) Steep steps; iv.) Narrow entrances; v.) Slippery/dirty floor; vi.) Inaccessible water collection points (height, tap type, space to the bottle on without having to hold it at all times); and vii.) Inaccessible water collection points (height, tap type, space to the bottle on without having to hold it at all times).
Policy/institutional: systematic exclusion or neglect in institutions and organizations, and at the policy level, including capacity gaps	i.) Exclusion from process of planning and design of facilities; ii.) Lack of clear policy guidelines on accessible piped drinking water for PwDs; iii.) Lack of awareness on design features of accessible water collection and drinking points; and iv.) IEC and technical capacity building material not available for PwDs, families, PRI leaders and service provider.
Social/ attitudinal: related to beliefs, perceptions, taboos, stigma, etc. in the society Social disabilities — wherein certain groups of people are neglected	i.) Neglect/lack of adequate support by the family members or caregivers (for those PwDs who have family members/ care givers to support them); ii.) Neglect/lack of adequate support towards ensuring accessible PWS and elderly persons belonging to single person households; and iii.) Teasing/ bullying/shaming by family/ community members/ Abuse.

8. Common Design considerations:

Following set of principles, as mentioned below, may be taken into consideration while designing accessible piped water supply points:

1.	Attractive and convenient to use	For example, by painting in bright colours; use of high quality materials and fittings; use of safe water.
2.	Easy-to-use	The tap storage space and the water point equipment should be easy to use for able persons, persons with disabilities, elderly persons, children, etc.
3.	Accessible to all users	The height and design of the water point need to be adjusted for children and people with disabilities. For children, the height should be between 500-700 mm and for

		<p>wheelchair users <850mm. In practice, this will require either two water points set at different heights, or one flexible modular unit with two water points.</p> <p>For wheel chair users, older people who might be unsteady on Their feet and users with other mobility devices (e.g. crutches), check that they don't need to lean too far forward to reach the tap/ foot pedal, water bottle/ cup holding point or push too hard to turn the device on.</p> <p>The area around the water point should be flat with a non-slip surface and overflowing water from the water point should be directed towards the drainage set up.</p>
4.	Sufficient taps	The maximum number of users during peak demand should be considered. One drinking water facility with many taps or multiple separate units may be required to prevent queues.
5.	Appropriate size/ shape	Where space is limited the drinking water facility design may need to be adapted accordingly while always ensuring that the facility is accessible for PwDs and elderly persons.
6.	Reliable waters supply	Unless there is a reliable 24/7 piped water connection available, a local water storage container will be required. This could be specific to the drinking water facility, or has connection from the central storage. Water quality should be inspected regularly. Water storage tank must be cleaned quarterly (at a minimum)
7.	Avoid splashing and provide good drainage	The counter/ basin should be large enough to avoid splashing. Overflowing water from the water point should be directed towards a soak-pit or drain, depending on the location.
8.	Selection of materials	For drinking water facilities installed in an outside area, appropriate materials should be selected that do not corrode quickly (e.g. stainless steel) or degrade in sunlight (plastics must be UV- resistant). Depending on the requirement, taps and water points that have good accessibility, need to be set up. The components most likely to fail are the tap, the fitting between the tap and tank, or (for hands-free designs) the mechanism for operating the tap or the water point. In order to reduce future maintenance, it is worth doing some research on different options available.
9.	Durable and reliable	Designs must be robust to provide a long-term facility with minimal maintenance required, ensuring accessibility for PwDs and elderly people at all times. Given that public facilities are likely to be used intensely, appropriate materials should be selected and a high quality of craftsmanship should be ensured. The stand for the water tank and pipe connection must be strong enough to hold the maximum weight and flow of water, and stable to prevent it being easily knocked over (or blown over for facilities outside). For large water tanks, a separate valve (stopcock) is recommended to avoid wastage of water when a tap breaks or is being changed.
10.	Easy to repair	Simple to repair with materials, spare parts and relevant technical skills available locally. Sometimes capacity and supply chains may need to be actively built.
11.	Affordable and provides value-for-money	Along-lasting facility will cost more but will be better value in the long run. So, when evaluating different design options consider both the capital cost (including transport and onsite assembly work) and the ongoing O&M over the design life ('life cycle costs'). Affordability will also be influenced by who is funding the facility—something that is affordable for a non-governmental organization (NGO) or private company to buy, may not be affordable for the local government or a community-based organization and thus limiting future replication and scale-up.

9. Following are the **suggested requirements** that may be considered, for specific contexts **wherein various types of accessibilities do exist**. The requirement for various user groups for different facilities could be as under:

Type of Facility	Possible users	Accessibility Requirements
Anganwadi centres	Children under the age of 5 Pregnant women, Mothers with new born babies, Anganwadi workers	<p>Baby friendly water points (height, location, ease of access) Common water points need to be accessible for children, pregnant women, mothers and facilitators.</p> <p>At least two common-water points need to be set up, making them accessible for children, pregnant women, new mothers, AWC workers while ensuring access to safe water focusing on children and persons with disabilities.</p>
Primary/ middle schools	Children under the age of 12, Teachers and other workers at primary schools	At least two common water points need to be set up, making them accessible for children and adults that ensure access to safe water for children and persons

		with disabilities.
Secondary/ higher secondary schools	Children between the ages 12-18, Teachers and other workers at secondary schools	At least two common water points need to be set up, making them accessible for children and adults that ensure access to safe water for children and persons with disabilities.
Residential Schools	Residential students (age ranging from age 8 to 18), Residential faculty members, Residential administrators Parents and guardians (including elderly persons) Sanitation workers and support staff	At least two common water points (in the school premises) need to be set up making them accessible and ensuring access to safe water for children, staff, visitors, and others with focus on persons with disabilities. At least one accessible drinking water point per floor for every dormitory floor, staff area and visitor's area in the residential complex.
Health and Wellness centers (out-patient, observation and labour)	Children, Young adults, Adults, Pregnant women, Elderly persons, Healthcare staff, Administrative staff, Sanitation workers and support staff	At least two common water points (within the premises of the PHC building) need to be set up making them accessible and ensuring access to safe water for children, pregnant women and persons with disabilities.
Primary health centers (6 beds approx.) Community health Centers (30 beds approx.); Civil and District hospitals (100 beds and above)	Children, Young adults, Adults Pregnant women, Elderly persons, Healthcare staff, Administrative staff, Sanitation workers and support staff	At least two common water points (within the premises of the outpatient ward) need to be set up making them accessible and ensuring access to safe water for children and other persons with disabilities. At least one accessible drinking water point per ward (male, female, pediatric), visitors area and staff area within the facility

10. The various building space/ interfaces where water and sanitation activities are performed and the interventions specified in the above document required to increase their accessibility for differently abled people are tabulated as under:

Wash Basins

Dimensions	CPWD	HG (2021)	NBC	ISO
Height of the washbasin (rim/ top edge)	Not higher than 750 mm above the finished floor level.	Provisions of drinking water facilities shall be created at two different heights, one between 750 mm to 800 mm range for wheelchair users or persons with a low height. The other at 900 mm which is convenient for standing adults.	800 mm and 840 mm from the floor. Be mounted such that the minimum distance between the center line of the fixture and the side wall is 460 mm.	750 mm to 850 mm from the floor. The differences in stature of the population worldwide may require lower or higher heights of washbasins. National regulations may give the most convenient and appropriate height for washbasins at a national level.
Knee and toe Space	A clearance of 550 mm shall be maintained from the finished floor level to the bottom of the apron.	Unobstructed space under the washbasin: a. Have a clear knee space between the bottom of the apron and floor or ground of at least 750 mm wide, 200 mm deep and 700 mm high. b. Have a toe space, not less than 750 mm wide and 230 mm high.	Knee space of at least 750 mm wide by 200 mm deep by 680 mm high. Toe space of at least 750 mm wide by 230 mm deep by 230 mm high.	Knee clearance: between 650 mm and 700 mm high and 200 mm deep. Toe clearance of at least 300 mm.


Maneuvering space in front of washbasin		In front of the water closet and wash basin and the relative fixtures should be arranged to facilitate a clear floor space shall be provided of at least 900 mm x 1200 mm. If the above-mentioned space is not available, an uncompromising space of 1500 mm diameter shall be provided.	900 mm wide by 1200 mm deep, of which a maximum of 480 mm in depth may be under the wash basin.	In front of the washbasin, space should allow for a frontal or oblique approach by a wheelchair.
Reach to the tap		The drinking water counter may be projected up to 480mm from the edge of the wall surface. The water flow should be from a height of 100 mm so that it allows the insertion of a cup or glass for drinking water.		The front edge of the washbasin shall be located within a distance of 350 mm to 600 mm from the wall. The reaching distance to the tap control shall be a maximum of 300 mm.
Dimensions of shelf		Shelf for toiletries should be provided between the heights of 400 mm to 800 mm. the drinking fountains should provide bottle fillers. The water flow should be from a height of 100 mm so that it allows the insertion of a cup or glass for drinking water.	400 mm x 200 mm fixed at a height of between 900 mm and 1000 mm from the floor.	200 mm X 400 mm at a height of 850 mm.
Mirror & drain		The bottom edge at a height of not more than 1000 mm from the floor and mirror should be tilted at an angle of 30 degree for better visibility of wheelchair user. A drain should be located under the drinking fountain to prevent the ground surface from becoming waterlogged or muddy.	The bottom edge at a height of not more than 1000 mm from the floor as shown in the figure, and mirror shall be tilted at an angle of 30° for better visibility of wheelchair user. Care shall be taken in placing mirrors and lights to avoid confusion and dazzling for visually impaired users	Top height min. 1900 mm, bottom height max. 900 mm above floor.




B) Taps

Dimensions	CPWD	HG	NBC	ISO
Type of taps / controls	Automatic or lever control type without spring loading. Tap shall not require tight grasping, pinching or twisting of the wrist.	Hand-operated or electronically controlled. Hand-operated controls should : - be operable by one hand, - require no tight grasping, pinching or twisting of the wrist, have handles of lever type (not self-closing) operable with a closed fist. - Lever-type handles or other alternative mechanisms like sensor-operated taps, etc. shall be used for easy operation.	Hand-operated or electronically controlled Hand-operated controls shall: - Be operable by one hand, -Require no tight grasping, pinching or twisting of the wrist Have handles of lever type (not self-closing) operable with a closed fist.	Taps should be mixer, lever or sensor operated to aid operation.
Force required	Not greater than 22 N.	Less than 22 N to activate.	Less than 20 N to activate.	
Colour/tactile		The controls should be Colour-contrasted with the surrounding face plate panel and the faceplate should similarly contrast with the background wall on which it is mounted. Similarly contrast with the back- ground wall on which it is mounted.	Colour-contrasted with the surrounding face platepanel Hot and cold-water taps should be identifiable by both colour and tactile markings.	
Information	Preferably be in relief (embossed letters/ symbols accompanied with Braille information) for tactile reading.	The signage systems shall incorporate symbols for persons with disabilities, family-friendly facilities, transgender groups and other user groups. Emergency information signs should be well integrated into the toilet systems for ensuring legibility and clarity at all times. To enhance accessibility, the status of washroom occupancy can be depicted with red for occupied and green for vacant in a multi-format communication. Lists the details of the information and signage system required for accessible toilets. The unisex and individual accessible cubicles in male and female toilets accessible toilets should		

		have signage represented by the International Symbol of Access (ISA). The unisex or gender-inclusive toilets shall be marked with clear signages. Drinking water facilities in buildings should be easily locatable, identifiable and reachable through well-identified signage.		
Temperature		For easy identification and accessibility, all signages must be supplemented by tactile features and separate signages in Braille. Additionally, for identification, a distinct audio sound (beeper/clapper) may be installed above the entrance door. For easy steering around inside the toilet, a tactile toilet layout should be provided on the wall, near the latch side between 900mm to 1200mm height range.		A thermostat be installed to limit the temperature of the hot water to a maximum of 40° C in order to prevent scalding.

Examples of design considerations/solutions being envisaged for identified difficulties faced in accessing/using water points

Type of disability	Identified difficulties faced in accessing/using water points	Examples of design considerations/solutions being envisaged	Examples
Major disabilities which form as barriers to accessing piped water needs freely: Locomotors Disability, Dwarfism, Leprosy-cured persons, Cerebral Palsy, Autism Spectrum Disorder, Muscular Dystrophy, Chronic Neurological conditions, Multiple Sclerosis, Sickle Cell disease, Parkinson's disease, Multiple Disabilities, etc.	Difficulties in maintaining balance Difficulties in bending, getting up and/or turning Difficulty in finding and/or holding objects such as door knob, water container, tap etc. Extreme pain in movement	Proper pavement without any barriers in the path leading to the water point. Pathways should be constructed of non-slip material; At places where there is a difference in level, such as where staircases meet floors, it is desirable that the appearance of the surface material be changed using colour contrast both immediately before and after that area; Handrail along the path for support; Ramps with adequate slope (if required);	 <p>Drinking water stations similar to the pictured hand washing stations can be a viable option. These stations include foot operated pedals to turn on the taps (useful for persons with disabilities related to upper limbs), stations with different heights and long handles as pictured below (making them accessible for persons in wheel chairs and for children).</p>

		<p>Floor made of non-slippery material; Water point surroundings should have adequate space for a wheelchair to enter and turn;</p> <p>Taps that have automatic sensors, foot operators and storage space underneath the tap to fill a water bottle and adequate room for a person with a wheelchair, crutch, etc. to move comfortably; Handrail/grab bar on both the sides of the water point; Height/ level of fixtures adjusted as per requirement; Depending on the type of water fountain allow an adequate space under the fountain; Modifications to the entrance to make it easily accessible for persons with multiple disabilities; Bold signs to locate the accessible water points, provide a clear designation of places, warnings and routing information.</p>	  <p>Similar accommodations, as shown in the picture hand washing facilities, need to be made for drinking water facilities as well. Hand rails should be ensured at drinking water points so to make them more accessible for persons who may need additional hand hold or back support.</p>
Vision impairments, Complete blindness, low vision.	Difficulty in finding path/ Difficulty in maintaining balance/ Difficulty in finding and/ or holding objects such as doorknob, water container etc.	<p>Landmark posts/guide strings along the path leading to the tap; Handrail/grab bar by the tap; Floor made of non-slippery material; Taps with voice sensors, audio indicators for when the tap is on and off and when a bottle is filled, braille indications which side in on and off of the tap etc.; Baby friendly taps should be in-place; Area around and outside the tap well illuminated; Adequate colour/tonal contrast between walls, Floor and fixtures; Bold signs to locate the accessible water points, provide a clear designation of places, warnings and routing information.</p>	 <p>Wooden posts as landmarks, guidance markers, handrail grabs needs to be provided for persons with visual impairments.</p>



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09082023-247932
CG-DL-E-09082023-247932

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 192]
No. 192]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 8, 2023/श्रावण 17, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 8, 2023/SHRAVANA 17, 1945

जल शक्ति मंत्रालय

(पेयजल एवं स्वच्छता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2023

सं. एस-18012/5/2021-एसबीएम-डीडीडब्ल्यूएस.—जबकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (बाद में अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 40 केंद्रीय सरकार को दिव्यांगजनों के मुख्य आयुक्त के परामर्श से, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को प्रदान की गई सुविधाओं और सेवाओं के लिए अन्य बातों के साथ-साथ पहुंच संबंधी मानक निर्धारित करने के लिए नियम बनाने का आदेश देती है;

2. और जबकि, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, जो ग्रामीण स्वच्छता से संबंधित मुद्दों के संबंध में नोडल केंद्रीय विभाग है, ने हितधारकों और दिव्यांगजनों के मुख्य आयुक्त के कार्यालय के परामर्श से दिव्यांगजनों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालयों के लिए पहुंच संबंधी मानक विकसित किया है;

3. अब, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय एतद्वारा अनुबंध में दिए गए विवरण के अनुसार "ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालयों के लिए सुलभ संबंधी मानक" अधिसूचित करता है।

जितेन्द्र श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

अनुबंध

ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालयों के लिए सुलभ संबंधी मानक

1. संदर्भ एवं परिचय:

- स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम (जी)) के प्रथम चरण के दौरान समयबद्ध तरीके से खुले में शौच से मुक्त भारत (ओडीएफ भारत) की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने के बाद, एसबीएम-जी के तहत प्राप्त लाभों को बनाए रखने के लिए सभी के लिए बेहतर स्वच्छता तक पहुंच और व्यवहार परिवर्तन संचार के प्रयासों को जारी रखना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी वंचित न रहे और यह सुनिश्चित किया जा सके कि गांवों में समग्र स्वच्छता हासिल की जाए और उसे बनाए रखा जाए।
- एसबीएम (जी) के चरण I की सफलता के बाद, इसके चरण II का ग्रामीण भारत में व्यक्तियों और समुदायों की क्षमता का लाभ उठाने के लिए एक अद्वितीय डिजाइन के साथ शुभारंभ किया गया था ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की ओडीएफ स्थिति की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए जन आंदोलन का सृजन किया जा सके, लोग सुरक्षित स्वच्छ व्यवहार को अपनाना जारी रखें और सभी गांवों में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्थाएं हों।
- सामुदायिक स्वच्छता परिसर (सीएससी), ओडीएफ-स्थिरता के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एसबीएम (जी) चरण II का एक प्रमुख घटक है। सीएससी के प्रावधानों में आईएचएचएल के लिए जगह की कमी वाले परिवार, अस्थायी/प्रवासी आबादी शामिल हैं।
- सीएससी में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग सुविधाएं होंगी, और इनमें उचित संख्या में शौचालय सीटें, स्नान कक्ष, वॉशिंग प्लेटफॉर्म, वॉश बेसिन आदि शामिल होंगे। सीएससी दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए सुलभ होना चाहिए।
- स्वच्छ भारत मिशन (जी) दिव्यांगजनों के लिए सुलभ शौचालयों को बढ़ावा देता है। दिव्यांगता के प्रकार के आधार पर, दिव्यांगजनों को अक्सर शौचालय सुविधाओं, विशेष रूप से सामुदायिक सेटिंग्स में और सार्वजनिक स्थानों जैसे कि स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य सामान्य स्थानों तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। "ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ सामुदायिक शौचालयों" के लिए ये डिजाइन विचार सार्वभौमिक डिजाइन दृष्टिकोण के साथ पहुंच, समावेशन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विकसित किए गए हैं।

इस दस्तावेज़ में ग्रामीण संदर्भ में सभी दिव्यांगजनों के लिए सामुदायिक स्थानों पर सुलभ और समावेशी स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए विचार किए जाने वाले डिजाइन संबंधी उपायों के बारे में विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाएगा।

जबकि इस दस्तावेज़ का मुख्य ध्यान दिव्यांगजनों और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए सुलभ और समावेशी सामुदायिक स्वच्छता परिसरों पर है, सुलभ और समावेशी सामुदायिक स्वच्छता परिसर पहुंच की अस्थायी चुनौतियों वाले लोगों जैसे कि गर्भवती महिलाओं या छोटे बच्चों वाली माताओं या ऐसे व्यक्तियों के लिए सहायक होंगे जो वे अल्पकालिक शारीरिक बीमारियों से पीड़ित हैं, क्योंकि उन्हें भी स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंचने में समान बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यदि बेहतर सुलभ स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता में देरी हो रही हो तो सुलभ स्वच्छता जैसी व्यवस्थाओं के लिए अंतरिम व्यवस्थाएं की जा सकती हैं।

टिप्पणी: राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता (एनबीसी) के दिशानिर्देशों के साथ-साथ दिव्यांगजनों और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त निर्मित वातावरण के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देश और स्थान संबंधी मानकों और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की सिफारिश है कि सभी सार्वजनिक स्थानों के प्रवेश और निकास द्वारों को सुलभ बनाया जाए (यदि वे पहले से ही ऐसे नहीं हैं)। इसके लिए, रैंप, फुटपाथ, मार्कर, स्थान की आवश्यकताएं, सहायक उपकरण आदि के लिए विशिष्ट डिजाइन विचार प्रदान किए गए हैं।

चूंकि, इस दस्तावेज़ का ध्यान सामुदायिक स्तर पर सुलभ स्वच्छता समाधानों की ओर है, इसलिए स्वच्छता सुविधाओं के लिए सार्वभौमिक डिजाइन दृष्टिकोण और/या भारत में सार्वभौमिक पहुंच के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देश और मानक

आगे विचार के लिए सुझाए गए हैं। इसके अलावा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रस्तावित सुझाव, समुदाय द्वारा संचालित और अनुरक्षित (और कुछ मामलों में स्वामित्व वाले) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यथार्थवादी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं। हालांकि कई प्रौद्योगिकी-उन्मुख समाधान हैं जैसे सेंसर-आधारित नल, कूड़ेदान, दरवाजे इत्यादि, और कम लागत-वाले हार्डवेयर जो उन्हें अधिक सुलभ बना सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उनकी उच्च पूंजी लागत और नियमित संचालन एवं रखरखाव की आवश्यकता को देखते हुए ये फौरी तौर पर यथार्थवादी नहीं हैं।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ सामुदायिक शौचालयों के लिए डिज़ाइन के समाधान


दिव्यांगता के प्रकार	शौचालयों तक पहुंचने/उपयोग करने में सामना की गई चिह्नित कठिनाइयाँ	किए जा रहे डिजाइन के विचारों/समाधानों के उदाहरण
शारीरिक दिव्यांगता/गतिशीलता दिव्यांगता (जैसे प्रमस्तिष्क घात, गतिविषयक दिव्यांगता, पेशीयदुष्पोषण, बहु-स्केलेरोसिक, आदी)	<ul style="list-style-type: none"> संतुलन बनाए रखने में कठिनाइयाँ बैठने, उठने और/या मुड़ने में कठिनाइयाँ दरवाजे की कुंडी, पानी का डिब्बा आदि जैसी वस्तुओं को ढूँढने और/या पकड़ने में कठिनाई हिलते समय अत्यधिक दर्द होना 	<ul style="list-style-type: none"> शौचालय की ओर जाने वाला मार्ग सुगम और बाधाओं से मुक्त हो पकड़ने के लिए रास्ते पर हैंडरेल पर्याप्त ढलान वाले रैंप फर्श फिसलन रहित सामग्री से बनाया जाए शौचालय का प्रवेश द्वार व्हीलचेयर के प्रवेश के लिए पर्याप्त स्थान है शौचालय कक्ष में व्हीलचेयर वाले व्यक्ति के लिए पर्याप्त स्थान है ताकि वह आराम से मुड़ सके और दरवाजा बंद कर सके शौचालय कक्ष के अंदर हैंडरेल/ग्रैब बार उठी हुई सीट आवश्यकता के अनुसार फिक्स्चर की ऊँचाई/स्तर समायोजित किया जाए एकांत और उपयोग में आसानी सुनिश्चित करने के लिए दरवाजे में आशोधन
दृष्टिगत हास (अंधापन या निम्न दृष्टि)	<ul style="list-style-type: none"> रास्ता खोजने में कठिनाई संतुलन बनाए रखने में कठिनाई दरवाजे की कुंडी, पानी का डिब्बा आदि जैसी वस्तुओं को ढूँढने और/या पकड़ने में कठिनाई 	<ul style="list-style-type: none"> शौचालय की ओर जाने वाले रास्ते पर थलचिह्न/गाइड स्ट्रिंग शौचालय कक्ष के अंदर हैंडरेलिंग/ग्रैब बार फर्श फिसलन रहित सामग्री से बनाया जाए शौचालय और शौचालय के बाहर के क्षेत्र में अच्छी प्रकाश व्यवस्था हो दीवारों, फर्श और फिक्स्चर के बीच पर्याप्त रंग/टोनल कंट्रास्ट हो
बौद्धिक दिव्यांगता या संवेदी दिव्यांगता	<ul style="list-style-type: none"> दृष्टि/गंध के प्रति संवेदनशीलता अँधेरे/बंद स्थान में भय 	<ul style="list-style-type: none"> शौचालयों में पर्याप्त जगह और संवातन शौचालय और शौचालय के बाहर के क्षेत्र में अच्छी प्रकाश व्यवस्था हो
वाक और श्रवण दिव्यांगता	<ul style="list-style-type: none"> भवन ढूँढने में कठिनाई ब्लॉक के अंदर एकांत के साथ सुविधाओं तक पहुंचने में कठिनाई 	<ul style="list-style-type: none"> भवन का पता लगाने, शौचालय/मूत्रालय जैसी सुविधाओं तक पहुंचने के लिए उचित स्थान के साथ उचित चिह्नों का उपयोग। आसान पहुंच के लिए साइनेज में प्रतीक चिह्न और पाठ एक साथ हो सकते हैं। अक्षरों का आकार आम तौर पर 18 फॉन्ट के आकार के साथ बोल्ड होना

		<p>चाहिए और आमतौर पर दीवार पर जमीन से 1500 से 1800 मिमी की दूरी पर लगाया जाना चाहिए।</p> <ul style="list-style-type: none"> प्रतीक चिह्न और पाठ को एक साथ मिलाकर दीवार पेंटिंग के लिए कंट्रास्ट रंग का उपयोग किया जाए।
बहु दिव्यांगताएं	चलने-फिरने/बैठने, सफाई करने में कठिनाई, सुविधाओं तक पहुँचने में कठिनाई	<ul style="list-style-type: none"> सुलभ शौचालय का डिज़ाइन सार्वभौमिक डिज़ाइन मानकों के अनुसार हो शौचालय सुविधा में सभी सुलभ सुविधाएँ शामिल होनी चाहिए जैसे कि सुलभ मार्ग, रैंप, सीढ़ियाँ, हैंडरेलिंग, प्रवेश द्वार, गलियारा, अंदर चलने के लिए जगह, ग्रैब बार, हैंडरेलिंग, अंदर की दीवार पर कंट्रास्ट रंग का ब्रांड आदि हो।



3. ग्रामीण संदर्भ में सुलभ शौचालय कक्षों वाले सामुदायिक शौचालयों के लिए नमूना डिज़ाइन

डिज़ाइन नमूना – 1

पर्याप्त भूमि उपलब्धता वाले क्षेत्रों के लिए नमूना सामुदायिक स्वच्छता परिसर डिज़ाइन- पुरुष और महिला सामान्य पृथक शौचालय इकाइयों के साथ-साथ सुलभ और समावेशी शौचालय कक्ष।



कम भूमि उपलब्धता वाले क्षेत्रों के लिए सामुदायिक स्वच्छता परिसर डिजाइन का नमूना - सुलभ और समावेशी शौचालय कक्षों के साथ-साथ पुरुष और महिला नियमित पृथक शौचालय यूनिट।



4.1 मुख्य डिज़ाइन विचार:

निम्नलिखित मानकों (माप/आयाम के साथ) का वर्णन किया गया है जो ग्रामीण संदर्भ में सामुदायिक स्वच्छता परिसर के लिए उपयुक्त हो सकते हैं:

(क) साइनेज और रंग

- शौचालय के प्रवेश द्वार पर फर्श के स्तर से 1.5 मीटर ऊपर सुलभ साइनेज (प्रतीक और पाठ दोनों 18 प्वाइंट्स के साथ) लगाए जाने चाहिए। साइनेज को ब्रेल सुविधा के साथ विपरीत रंग से रंगा जाना चाहिए।
- कम दृष्टि वाले लोगों की आसान पहुंच के लिए शौचालय के दरवाजे के चारों ओर और भीतरी दीवार पर विपरीत रंग की पट्टी प्रदान की जा सकती है। इसी तरह, शौचालय के अंदर कमोड, वॉश बेसिन और अन्य फिक्स्चर भीतरी दीवार के रंग के विपरीत होने चाहिए।

(ख) सुलभता

- शौचालय तक पहुंचने का रास्ता साफ और सुगम होना चाहिए तथा फर्श पर उचित विनिर्देश के अनुसार स्पर्शनीय टाइल लगाई जानी चाहिए। शौचालय परिसर तक पहुंच मार्ग से कोई बाधा (चल या स्थिर) नहीं होनी चाहिए। पथ की चौड़ाई न्यूनतम 1200 मिमी या अधिक हो सकती है।
- शौचालय परिसर के प्रवेश द्वार पर एक रैंप (1:15 या उससे कम की ढलान के साथ मध्यम ढाल) होना चाहिए। रैंप की स्पष्ट चौड़ाई व्यक्तियों की संख्या के आधार पर अधिमानतः 1200 मिमी या अधिक होनी चाहिए। रैंप से पहले लैंडिंग के लिए कम से कम 1200 मिमी x 1200 मिमी खाली जगह होनी चाहिए। व्हील चेयर उपयोगकर्ता के लिए, न्यूनतम स्पष्ट चौड़ाई 900 मिमी होनी चाहिए।
- रैंप के दोनों तरफ और दो स्तरों पर हैंडरेल होनी चाहिए। निचली रेल को तैयार तल से 700 से 750 मिमी की ऊंचाई पर और ऊपरी रेल को तैयार तल से 850 से 900 मिमी की ऊंचाई पर लगाया जाना चाहिए। दोनों सिरों को गोल और ग्राउट किया जाना चाहिए और रैंप के ऊपर तथा नीचे से 300 मिमी तक बढ़ाया जाना चाहिए। यदि शौचालय भवन के अंदर दो तलों के बीच स्तर का अंतर है, तो आसान और सुगम पहुंच के लिए 1:15 ढाल का रैंप प्रदान किया जा सकता है।
- सुलभ सीढ़ियों को अधिकतम ऊंचाई का एक-समान राइजर: 150 मिमी और न्यूनतम चौड़ाई: 300 मिमी का एक समान ट्रेड प्रदान किया जाना चाहिए। सीढ़ियों की अबाधित चौड़ाई कम से कम 1200 मिमी होनी चाहिए। दोनों तरफ दो स्तरों पर लगातार हैंडरेलिंग होनी चाहिए। निचली रेल को तैयार तल से 700 से 750 मिमी की ऊंचाई पर और ऊपरी रेल को 850 से 900 मिमी की ऊंचाई पर स्थिर किया जाना चाहिए। दोनों सिरों को गोल और ग्राउट किया जाना चाहिए और सीढ़ियों के ऊपर और नीचे से 300 मिमी तक बढ़ाया जाना चाहिए।
- व्हील चेयर पर शौचालय तक पहुंचने के लिए भवन के अंदर के गलियारे में 1200 मिमी की स्पष्ट मार्ग चौड़ाई होनी चाहिए।

(ग) सुलभ शौचालय

- सुझाए गए नमूना डिज़ाइनों में, दिव्यांग के उपयोग के लिए एक विशिष्ट शौचालय रखा गया है। इसमें गलियारे की पर्याप्त चौड़ाई, बाहर की ओर खुलने वाला दरवाज़ा, पर्याप्त आंतरिक स्थान, ग्रैव बार के साथ कमोड आदि हैं, जो सभी दिव्यांग लोगों के लिए शौचालय तक आसान पहुंच बनाता है।
- यह प्रस्तावित किया जा सकता है कि आंतरिक स्थान अधिमानतः 1.80 मीटर x 2.00 मीटर का होना चाहिए, जिसमें व्हीलचेयर की आसान गोलाकार आवाजाही के लिए वॉटर क्लॉज़ेट (डब्ल्यूसी) के सामने 1200 मिमी का खाली स्थान होना चाहिए।
- शौचालय के दरवाजे की चौड़ाई 900 मिमी स्पष्ट चौड़ाई होनी चाहिए और वह बाहर स्पष्ट रूप से खुलना चाहिए। दृष्टिबाधित लोगों की आसानी से पहुंच के लिए दरवाजे के फ्रेम और शटर के चारों ओर विपरीत रंग रंग की पट्टी प्रदान की जा सकती है।
- सुविधा के लिए वाटर क्लॉज़ेट के दरवाजे बाहर की ओर खुलने चाहिए। एक स्लाइडिंग दरवाज़ा भी उचित है।

हैंडल में गोलाकार खंड का डी आकार का फ्रेम होना चाहिए और यह दरवाजे के फ्रेम पर क्षैतिज रूप से फर्श स्तर से 850 से 1000 मिमी पर लगा होना चाहिए।

- शौचालय यूरोपीय शैली (कमोड) की दीवार पर फर्श के स्तर से 0.48 मीटर ऊपर होना चाहिए और चेतावनी के लिए अलार्म घंटी होनी चाहिए।
- शौचालय के बगल में दीवार की तरफ फर्श के स्तर से 0.7 मीटर की ऊंचाई पर एल-आकार की ग्रैब बार 700 x 700 मिमी होनी चाहिए और ट्रांसफर साइड पर फर्श के स्तर से 480 मिमी की ऊंचाई पर यू आकार की ग्रैब बार होनी चाहिए।
- ग्रामीण संदर्भ में, दिव्यांग व्यक्ति द्वारा स्वयं को कमोड बेस पर स्थानांतरित करने में सहायता करने के लिए ग्रैब बार तय किए जा सकते हैं। कभी-कभी, 25 मिमी से 35 मिमी व्यास वाले जीआई पाइप या स्टेनलेस-स्टील बार को कमोड के दोनों किनारों पर उचित ऊंचाई (जमीन से 700 मिमी पर लगाया जा सकता है) पर लगाया जाता है, जैसा कि एमओएचयूए के सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देशों में बताया गया है।

(घ) वॉश बेसिन और नल

- वॉश बेसिन को फर्श के स्तर से 700 से 800 मिमी (ऊपरी किनारे) के बीच स्थापित किया जाना चाहिए, जिसमें घुटने के लिए कम से कम 760 मिमी चौड़ा, 200 मिमी गहरा और 650 मिमी-680 मिमी ऊंचा स्थान हो।
- वॉश बेसिन का रंग दीवार के रंग के विपरीत होना चाहिए।
- सभी नलों में लंबे लीवर प्रकार के हैंडल होने चाहिए और अधिमानतः फर्श स्तर से 0.7 से 0.8 मीटर की दूरी पर लगाए जाने चाहिए। अधिमानतः शौचालय के नजदीक आसान सफाई उद्देश्यों के लिए पानी का एक नल लगा होना चाहिए।

(ङ) अन्य

- शौचालय और शौचालय क्षेत्र के बीच स्तर का अंतर 6-12 मिमी से अधिक नहीं होना चाहिए।
- अन्य संदर्भ में वॉटर क्लॉज़ेट एक संशोधित कमोड प्रकार हो सकता है (चिनाई कार्य की एक उभरी हुई संरचना जिस पर भारतीय पैन तय होता है)
- दर्पण का निचला किनारा फर्श से 900-100 मिमी की दूरी पर रखा जाना चाहिए और दर्पण को उचित कोण पर झुकाया जा सकता है।
- मूत्रालय स्थल पर सीढ़ियाँ नहीं बनाई जानी चाहिए।
- दिव्यांग व्यक्तियों (उदाहरण के लिए, बैसाखी उपयोगकर्ता) को सहारा देने के लिए कम से कम एक मूत्रालय में दोनों ओर और मूत्रालय के सामने ग्रैब बार स्थापित होने चाहिए।
- सुलभ शौचालय कक्षों के लिए कक्ष दरवाजे डिज़ाइन में उल्लेखानुसार, बाहर की ओर खुलने वाले होंगे ताकि वे उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सकें।
- मूत्रालय की सीटों में से एक सीट को कम ऊंचाई पर लगाया जा सकता है और इसे ग्रैब बार के साथ स्थिर किया जा सकता है।
- शौचालय/मूत्रालय तक पहुंचने के लिए कोई दरवाज़ा सील नहीं होना चाहिए।
- प्रत्येक शौचालय कक्ष में टॉयलेट पेपर डिस्पेंसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

टिप्पणी: ऊपर उल्लिखित यूनिसेक्स एक्सेसिबल कम्युनिटी सेनेटरी कॉम्प्लेक्स - डिजाइन और विशिष्टताएं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित "भारत में सार्वभौमिक पहुंच के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देश और मानक 2021" में उल्लिखित मानकों और डिजाइनों के अनुसार हैं।

कृपया हार्डवेयर घटकों के विस्तृत डिज़ाइन के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देश देखें।

MINISTRY OF JAL SHAKTI
(Department of Drinking Water and Sanitation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2023

No. S-18012/5/2021-SBM-DDWS.—Whereas Section 40 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (hereinafter referred as the Act) mandates the Central Government, in consultation with the Chief Commissioner for Persons with Disabilities, to formulate rules laying down standards of accessibility inter-alia for facilities and services provided to the public in urban and rural areas;

2. And whereas, Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Jal Shakti which is the nodal Central Department with respect to the issues concerning rural sanitation, has developed accessibility standard for community toilets in rural areas for persons with disabilities in consultation with stakeholders and office of Chief Commissioner for Persons with Disabilities;

3. Now, Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Jal Shakti hereby notifies the “Accessibility standards for community toilets in rural areas” as detailed at Annexure.

JITENDRA SRIVASTAVA, Jt. Secy.

ANNEXURE

Accessibility standards for Community Toilets in Rural areas

1. Context and introduction:

- Having achieved the milestone of an ODF India in a time bound manner during the Swachh Bharat Mission (SBM(G)) Phase I, efforts on access to improved sanitation for all and behaviour change communication have to continue to sustain the gains made under the SBM-G, to ensure no one is left behind and to ensure overall cleanliness in villages are achieved and maintained.
- Following the success of the Phase I of SBM(G), its phase II was launched with a unique design to leverage the capacity of individuals and communities in rural India to create people's movement to ensure the ODF status of rural areas is sustained, people continue to practice safe hygienic behaviour and that all villages have solid and liquid waste management arrangements.
- The community sanitary complexes (CSC) form a key component of SBM(G) phase II to deliver the objectives of ODF-sustainability. The provisions of CSCs include for households having space constraints of IHHL, floating/migrant population.
- The CSCs shall have separate facilities for men and women, and shall consist of an appropriate number of toilet seats, bathing cubicles, washing platforms, wash basins etc, The CSC should be accessible for Divyangjans (persons with disabilities (PwD)).
- The Swachh Bharat Mission (G) promotes accessible toilets for PwDs. Depending on the type of disability, PwDs, often face difficulties with accessing toilet facilities especially in community settings and in public spaces such as schools, anganwadi centres, healthcare facilities and other common spaces. These design considerations for “accessible community toilets in rural areas” are developed to ensure accessibility, inclusion and responsiveness with universal design approach.

This document will detail on design measures to be considered to ensure accessible and inclusive sanitation facilities in community spaces for all persons with disabilities in rural context.

While the core attention of this document is on accessible and inclusive community sanitary complexes persons with disabilities and elderly persons, accessible and inclusive community sanitary complexes will be helpful for people with temporary access challenges such as pregnant women or mothers with young children or individuals who are suffering from short term physical ailments, since they too face similar barriers while accessing sanitation facilities. In case availability of improved accessible sanitation facilities is getting delayed, interim arrangements for accessible sanitation alike arrangements can be organised.

Note: The National Building Code (NBC) Guidelines as well as the Harmonised Guidelines and Space Standards for Barrier Free Built Environment for Persons with Disabilities and Elderly Persons and the Department of Empowerment of Persons with Disabilities within the Ministry of Social Justice and Empowerment recommend that entrances and exits of all public spaces are made accessible (if they are not, already). For this, specific design considerations for ramps, pavements, markers, space requirements, assistive devices, etc. have been provided.

As the focus of this document is towards accessible sanitation solutions at community level, Universal Design Approach for Sanitary Facilities and/ or the Harmonized Guidelines and Standards for Universal Accessibility in India


are suggested for further consideration. Furthermore, it is to be noted that the proposed suggestions are made taking into consideration realistic possibilities for community operated and maintained (and in some cases owned) rural areas. While there are many technology-intensive solutions such as sensor-based taps, dustbins, doors, etc., and cost intensive hardware which can make them more accessible, the same are not immediately realistic for rural areas given their high capital costs and need for regular operations and maintenance.

2. Design solutions for accessible community toilets in rural areas

Type of disability	Identified difficulties faced in accessing/ using toilets	Examples of design considerations/solutions being envisaged
Physical disability/ mobility impairments (such as Cerebral Palsy, Locomotor Disability, Muscular Dystrophy, Multiple Sclerosis, etc.)	<ul style="list-style-type: none"> Difficulties in maintaining balance Difficulties in squatting, getting up and/or turning Difficulty in finding and/or holding objects such as doorknob, water container etc. Extreme pain while movement 	<ul style="list-style-type: none"> Path leading to toilet smooth and free of barriers Handrail along path for support Ramps with adequate slope Floor made of non-slippery material Toilet entrance adequate for a wheelchair to enter Toilet cubicle space adequate for a person with a wheelchair to move and close door comfortably Handrail/grab bar inside toilet cubicle Raised seat Height/level of fixtures adjusted as per requirement Modifications in the door to ensure privacy and ease of use
Vision impairments (blindness or low vision)	<ul style="list-style-type: none"> Difficulty in finding path Difficulty in maintaining balance Difficulty in finding and/or holding objects such as doorknob, water container etc. 	<ul style="list-style-type: none"> Landmark posts/guide strings along the path leading to toilet Handrail/grab bar inside toilet cubicle Floor made of non-slippery material Toilet and area outside toilet well illuminated Adequate colour/tonal contrast between walls, floor and fixtures
Intellectual disabilities or sensory impairments	<ul style="list-style-type: none"> Sensitivity to sight/ smell Fear in dark/closed space 	<ul style="list-style-type: none"> Adequate space and ventilation in toilets Toilet and area outside the toilet well illuminated
Speech and Hearing Impairment	<ul style="list-style-type: none"> Difficulty in locating the building Difficulty in accessing the facilities inside the block with privacy 	<ul style="list-style-type: none"> Use of proper sign age with appropriate position to locate the building, to access the facilities like toilets/urinals. The signages may contain the symbol and text together for easy access. The letter sizes are to be bold with 18 pt size generally and to be usually placed at 1500 to 1800 mm from ground on the wall. Contrast colour may be used for the wall painting with symbol and text together.
Multiple Disabilities	Difficult in accessing the facilities Difficult in movement/ squatting, cleaning	<ul style="list-style-type: none"> The design for the accessible toilet may be as per the universal design standards The toilet facility should include all accessible features such as accessible pathway, ramp, steps, handrails, entrance door, corridor, inner moving space, grab bars, handrails, contrast colour brand on the inner wall etc.

Design Sample – 3

Sample community sanitary complex design for areas with uneven land availability - with accessible and inclusive toilet cubicles along with regular sectioned male and female toilet units.



4.1 Key design considerations:

Following are standards described (with measurements/ dimensions) that may be appropriate for a community sanitary complex in rural context:

a. Signage and colour

- The accessible signage (both the symbol and the text with 18 pts) should be fixed at the entry of the toilet at 1.5 meters above the floor level. The signage should be painted with a contrast colour with Braille facility in it.
- Contrast colour band may be provided surrounding the door of the toilet and at the inner wall for easy access of the people with low vision. Similarly, the commode, wash basins and other fixtures inside the toilet should be of contrast to the inner wall colour.

b. Accessibility

- The Pathway (access) to the toilet should have clear and smooth and antiskid floor having tactile tile fixing as per proper specification. There should not be any obstacle (either fixed or movable) from the approach road to the toilet complex. The width of the pathway may be minimum 1200mm or more.
- The entrance of the toilet complex should have a ramp (moderately with a slope of 1:15 or less). The clear width of the ramp should preferably be 1200mm or more depending on the footfall. The landing before the ramp should be at least, 1200mm X 1200mm clear space. For a wheel chair user, the minimum clear width should be 900mm.
- Ramp should have Hand Rails on both sides and at two levels. The lower one at 700 to 750mm height and the upper rail should be fixed at 850 to 900 mm height from the finished floor. Both ends should be rounded and grouted and extend up to 300mm beyond the top and bottom of the ramp. If there is a level difference between two floors inside the toilet building, a ramp of 1:15 gradient may be provided for easy and smooth access.
- The accessible steps should be provided with a uniform riser of maximum height: 150mm and uniform Tread of minimum width: 300mm. The steps should have an unobstructed width of at least 1200mm. There should have continuous handrails on both sides at two levels. The lower rail should be fixed at 700 to 750mm height and the upper rail at 850 to 900mm height from the finished floor. Both ends should be rounded and grouted and extend up to 300mm beyond the top and bottom of stairs.

- The corridor inside the building should have a clear passage width of 1200mm to access the toilets in a wheel chair.

c. Accessible toilet

- In the suggested sample designs, one specific toilet has been kept for Persons with Disability to access. There is adequate corridor width, door opening outside, adequate inner space, commode with grab bars etc. that makes easy accessibility into the toilet for all people with disabilities.
- It may be proposed that the inner space should preferably be 1.80mt x 2.00mt wherein there should be a clear space of 1200mm in front of the water closet (WC), for easy circular movement of the wheelchair.
- The door width to the toilet should be 900mm clear width and should be opening outside clearly. Contrast colour band, surrounding the door frame & shutters may be provided for the visually impaired people to access easily.
- The doors of water closet should open outside for convenience. A sliding door is also advisable. The handle should have a D shaped frame of circular section and fitted at 850 to 1000mm from floor level, horizontally on the door frame.
- The WC should be of European style (Commode) wall mounted @0.48 mtrs above the floor level & should have alarm bell for warning purposes.
- Adjacent to WC there should be L-shaped grab bar 700 x 700 mm mounted at 0.7m high from the floor level on the wall side & should have U shaped grab bars mounted at 480mm from the floor level on the transfer side.
- In rural context, the grab bars may be fixed to support the person with disability to transfer themselves into the commode base. Sometimes, 25mm to 35mm dia G.I. pipe or stainless-steel bars fixed at both sides of the commode at appropriate height (may be at 700mm from ground), as mentioned in the MOHUA's harmonized guidelines.

d. Wash Basin and Taps

- The wash basin should be mounted between 700 to 800 mm (top edge) above the floor level with clear knee space of at least 760mm wide by 200mm deep and by 650mm-680mm high.
- The colour of the wash basin should contrast with the wall colour.
- All the taps should have long lever type handles and preferably fixed at 0.7 to 0.8mt from the floor level. Preferably there should be one water faucet fixed for easy cleaning purposes nearer to the toilet.

e. Others

- The level difference should not be more than 6-12 mm between the toilet & W.C. area.
- In other context the Water Closet may be a modified commode type (a raised structure of masonry work on which Indian pan is fixed)
- Mirror bottom edge is to be placed at 900-100 mm from the floor and the mirror may be inclined at an appropriate angle.
- At urinal place no steps should be provided.
- At least one of the urinals should have grab bars installed on each side and in front of the urinal to support ambulant persons with disabilities (for example, crutch user).
- As mentioned in the designs, cubicle doors for accessible toilet cubicles shall be outward facing to making them better meet the needs of users.
- One of the urinal seats may be fixed at a lower height and may be fixed with grab bars.
- There should not be any door seal to access the toilet/ urinals.
- Toilet paper dispensers may be provided in each toilet cubicles.

Note: Note: Above mentioned Unisex Accessible Community Sanitary Complex – Designs and specifications are as per the standards and designs of mentioned in the “Harmonized Guidelines and standards for Universal accessibility in India 2021” published by Ministry of Housing and Urban Affairs, GoI.

Please refer to the Harmonised Guidelines for detailed designs of the hardware components.